राष्ट्रीय संगोष्ठी

संरक्षक

प्रो०टी०एन०सिंह
माननीय कुलपति जी
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

आयोजन समिति

प्रो०चतुर्भुज नाथ तिवारी
संकायाध्यक्ष, विधि संकाय
मो०नं० 09451738732
प्रो० रंजन कुमार
विभागाध्यक्ष, विधि विभाग
मो०नं० 9450182006
डॉ० शिल्पी गुप्ता
संगोष्ठी संयोजक
डॉ० केशरी नन्दन शर्मा
श्री राम जतन प्रसाद
प्रो० संजय
प्रो० भावना वर्मा
डॉ० निमिषा गुप्ता
डॉ० शैला परवीन
डॉ० अनिल कुमार चौधरी
डॉ० राजीव कुमार
डॉ० नन्दनी सिंह
डॉ० अखिलेश चन्द्र यादव
डॉ० रमन पन्त
डॉ० अनिल कुमार
डॉ० सन्दीप गिरि
डॉ० नीरज कुमार सोनकर
डॉ० सफीना बेगम
श्री अनिल कुमार
श्री आयुष कुमार
डा0 सुमन कुमार ओझा
डॉ० हंसराज
आयोजन सचिव

राष्ट्रीय संगोष्ठी

वैवाहिक संस्था की पवित्रता एवं नैतिकता एवं यौन सम्बन्धों में स्वातंत्र्य की मॉगः आदर्श एवं यथार्थ

Ethics And Purity of Marriage Institution And Demand For Independence In Sexual Relations : Idealism & Reality

27–28 अप्रैल, 2019

BOOK POST

To, _____

_____

_____

_____

संयोजक
डॉ० शिल्पी गुप्ता
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि विभाग
म० गां० काशी विद्यापीठ, वाराणसी– 221002

आयोजन सचिव
डॉ० हंसराज
म०गां० काशी विद्यापीठ, वाराणसी– 221002
मो०–9415577746

Email - lawmgkvp@gmail.com

राष्ट्रीय संगोष्ठी

वैवाहिक संस्था की पवित्रता एवं नैतिकता एवं यौन सम्बन्धों में स्वातंत्र्य की मॉगः आदर्श एवं यथार्थ

Ethics And Purity of Marriage Institution And Demand For Independence In Sexual Relations : Idealism & Reality

27–28 अप्रैल, 2019

impress

प्रायोजक
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
(Indian Council of Social Science Research, New Delhi)

आयोजक
विधि विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

आमंत्रण

प्रिय प्रतिभागीगण,

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता ही हमारे समाज के गठन तथा संचालन का आधार हैं। इस समाज में प्रचलित संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था 'विवाह' भी हैं, जो प्राचीन समय से प्रचलित हैं, और समाज की एक महत्वपूर्ण ईकाई हैं, जिसको समाज के अन्तर्गत परिवारों द्वारा लागू किया जा रहा हैं। विवाह परिवार के अन्तर्गत एक संस्था के रूप मे हैं। इसका महत्वपूर्ण गुण इसकी स्थायी प्रकृति हैं, परन्तु आज के बदलते परिवेश में नए–नए कानून आ रहे हैं। जिससे यह महत्वपूर्ण संस्था भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण इसका स्वरूप संस्कारिक न होकर संविदात्मक होता जा रहा हैं।

जहाँ एक ओर महिलाओं के संरक्षण के लिए हमारी पुरूष प्रधान सरकार कानून बना रही हैं, वही दूसरी ओर पुरूष प्रधान समाज उसको तोड़ने के नए–नए तरीके तलाश कर रहा हैं। इसकी सच्चाई की तह में जाने हेतु निश्चित रूप से समाज के दोनों (महिला एवं पुरूष) वर्गों से विमर्श करना जरूरी हो गया है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर अभिमत विचारणीय हैं–

1. क्या विवाहित स्त्री की इच्छा के विरूद्ध यौन संबंध अपराध है?
2. क्या पवित्रता की आड़ में हिंसा जायज हैं?
3. क्या सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ जंग हैं?
4. क्या वर्तमान मे विवाह एक पवित्र संस्कार या संविदा हैं?
5. क्या कानून से परिवार टूटने का डर हैं?
6. क्या मानवाधिकार–वादियों के द्वारा कानून की मांग जायज हैं?
7. क्या महिला संगठनो की मांग जायज हैं?
8. क्या यह संस्कारिक संस्था विवाह को संविदात्मक संस्था के रूप में परिणित करने का प्रयास हैं और क्या यह भारतीय संस्कृति, परंपरा तथा पति–पत्नी के बीच की समरसता को नष्ट करने का प्रयास नहीं हैं?
9. क्या सर हेनरी मेन की यह युक्ति कि "प्रगतिशील समाज का चलन प्रास्थिति से संविदा की ओर" हैं, भारतीय समाज जीवन पद्धति में सुसंगत हैं?
10. क्या भारतीय वैवाहिक संस्था के रूप मे परिवर्तन किया जा सकता हैं?

शोध–पत्र जमा करने हेतु निर्देश

सभी प्रतिभागीयों से अनुरोध है कि लगभग 200 शब्दों की सारांशिका 18 अप्रैल, 2019 या इसके पूर्व एवं पूर्ण शोध पत्र जो कि 2500 शब्दों से अधिकतम न हो, 20 अप्रैल, 2019 या इसके पूर्व एम.एस.वर्ड टाइम्स न्यू रोमन, फान्ट आकार 12 अंग्रेजी हेतु तथा क्रुतिदेव 10, फान्ट आकार 16 हिन्दी हेतु ई–मेल lawmgkvp@gmail.com पर अपनी प्रस्तुतियों को भेजे।

पंजीकरण शुल्क

शिक्षाविद एवं अन्य प्रतिभागी	₹ 1000/–
शोधार्थी / छात्र	₹ 500/–

पंजीकरण फार्म इस निमंत्रण–पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रतिभागी पंजीकरण हेतु फार्म के साथ पंजीकरण शुल्क नगद स्वयं विभाग में जाकर जमा करें।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ : एक परिचय

भदैनी (वाराणसी) में 10 फरवरी, 1921 को बसन्त पंचमी के दिन काशी विद्यापीठ का आरम्भोत्सव हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉ० भगवानदास ने की। काशी विद्यापीठ की स्थापना का श्रेय राष्ट्र रत्न श्री शिव प्रसाद गुप्त जी को हैं। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी ने कहा–असहयोग आन्दोलन के दौरान विद्यार्थियों को स्वदेशाभिमान, स्वाश्रयी, चरित्रवान एवं भारतीय बनाने के लिए स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता हैं। काशी विद्यापीठ की स्थापना के अवसर पर महात्मा गांधी, मोती लाल नेहरू, मौ० मोहम्मद अली, मौ० अब्दुल कलाम आजाद, सेठ जमुना लाल बजाज और पं. जवाहर लाल नेहरू आदि मौजूद थे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ देश के 20 प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ पर स्थापित भारत माता मन्दिर एक ऐतिहासिक धरोहर हैं। जिसका लोकार्पण सन् 1933 को महात्मा गांधी जी के कर कमलों से हुआ। काशी विद्यापीठ के विधि विभाग की स्थापना अहिंसा के ऐतिहासिक दिन राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर, 1983 को हुई थीं।वर्तमान में यहाँ एल–एल०बी०, एल–एल०एम० एवं शोध सम्बन्धी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं। विधि विभाग का मुख्य उद्देश्य विधि के छात्रों को विधिक शिक्षा के द्वारा सम्पूर्ण विधिक क्षेत्राधिकार से परिचित कराना है। इसके साथ ही भारतीय संविधान में निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अन्दर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं परम्पराओं के प्रति सम्मान जाग्रित करना हैं।

पंजीकरण - फार्म

विधि विभाग

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

नाम : .....

पद नाम : .....

संस्था : .....

पत्र व्यवहार का पता .....

.....

.....

मोबाईल नं०.....

ई–मेल .....

पंजीकरण शुल्क (नगद) .....

शोध पत्र का शीर्षक .....

दिनांकः

स्थानः

हस्ताक्षर